


# राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक :- एफ2(8)/नि.प्र./2019-20/२७

दिनांक :- 15/4/19


## कार्यालय आदेश

अंकेक्षण आक्षेपों में आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार प्रत्यायोजन के तहत बकाया अंकेक्षण आक्षेपों में वित्तीय हानि नहीं होने के सम्बन्ध में पूर्व में जारी कार्यालय आदेश क्रमांक-एफ2(8)/नि.प्र./2013-14/159 दिनांक-05.08.13 को पत्रावली की कार्यालय टीप क्रमांक-108 से 113 पर जारी अनुमोदनानुसार विलोपित किया जाता है।

  
आवासन आयुक्त

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, अध्यक्ष/आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. मुख्य अभियंता-प्रथम/द्वितीय/मुख्यालय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. अतिरिक्त मुख्य अभियंता-प्रथम/द्वितीय/तृतीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर/जोधपुर।
4. निजी सचिव-सचिव/ वित्तीय सलाहकार, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
5. मुख्य सम्पदा प्रबंधक, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. उपसचिव, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
7. वरिष्ठ लेखाधिकारी, (जी.पी.एफ. एवं पेंशन) राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
8. सम्पदा प्रबंधक (भूमि), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
9. समस्त उप आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, वृत्त-.....
10. समस्त आवासीय अभियंता, राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड-.....
11. लेखाधिकारी (भुगतान), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
12. वरिष्ठ कार्मिक प्रबंधक, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
13. सहायक निदेशक (जनसम्पर्क), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
14. सहायक लेखाधिकारी (भण्डार), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
15. मास्टर फाईल

  
वित्तीय सलाहकार